नम्बर /वर्ष 228/2018 अनवानी सफी मोहम्मद बनाम नजीरदीन आदि

तारीख हुक्म	कार्यवाह मय इनीशियल जज	नम्बर व तारिख जो अहकाम की पालना में जारी हुए
27/11/25	पत्रावली पेश हुई प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी सायल 1 सफी मोहम्मद सायल 2 बिलाल के देहान्त होने पर वारिसान को पक्षकार बनाने की ,एवं 22 नियम 4 ,9 सीपीसी प्रतिवादी संख्या 21 ,के देहान्त होने पर वारिसान को पक्षकार बनाने की पेश की गई थी पर बहस उभयपक्षो की सुनी गई विवेचन निम्नप्रकार से ह वकील वादी/प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने उक्त तीनो प्रार्थना पत्रो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की हस्तगत वाद एव प्रार्थना पत्र में वादी संख्या 1 ,2 व प्रतिवादी संख्या 21 का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार ही है वादी के वाद में भू0 प्रबन्ध विभाग द्वारा वाद के दादा मेहरदीन का हक हिस्सा था को गलत तैर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया जिसे संशोधन करवाने का पेश किया गया है जिसमें पक्षकारो का हक हिस्सा है वादी संख्या 1 ,2 के वारिसान अपने हको को साबित करने के लिये वाद /प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है। मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थीगण गरीब किसान है तथा देहाती व्यक्ति है जिन्हे कानुनी अडचनो का पता नही था इसलिये वादी संख्या 1 ,2 के देहान्त होने की सुचना अपने वकील व न्यायालय को नही देने के कारण पक्षकार बनाये जाने की कार्यवाही नही की जा सकी जब पता चला तब बिना देरी के पक्षकार बनाये जाने की कार्यवाही की गई है अतः देरीना को माफ किया जावे वादी संख्या 1 ,2 का वाद भूमि में हित निहित है इसलिय पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वारिसान को पक्षकार बनाये जाने के आदेश फरमावे। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद सन 2019 में प्रस्तुत किया गया था जो विचाराधीन है जिसमें सफी मोहम्मद वाद एवं अन्य पक्षकारान की मृत्यू हो चुकी है प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में पक्षकारो की मृत्यू की दिनांक अंकित नही की गई है। वादी के वाद में अंकित पक्षकारो के देहान्त होने की सुचना दिनांक 08.09.2020 को दी जा चुकी थी फिर भी बार बार न्यायालय के द्वारा समय दिये जाने के उपरान्त भी पक्षकार नही बनाये जाने के कारण वादी वाद अबैट हो चुका है वादी ने कुल 92 प्रतिवाद ही बनाये गये है जिसमें भी प्रतिवादी संख्या 4 आसमा 6 साल पहले प्रतिवादी संख्या 21 मोहम्मद हनीफ 1–1/2 वर्ष पूर्व सफीया प्रतिवादी संख्या 24 लगभग एक साल पूर्व प्रतिवादी संख्या 3 दामी दो तीन वर्ष पूर्व प्रतिवादी संख्या 43 मैनो लगभग दो वर्ष पूर्व प्रतिवादी संख्या 50 मदीन लगभग दो –तीन वर्ष पूर्व प्रतिवादी संख्या 54 एक साल पूर्व प्रतिवादी संख्या 65 हारून दो साल पहले प्रतिवादी 67 ज्याना तीन साल पूर्व प्रतिवादी संख्या 78 शरीफ दो साल पहले फोत हो चुके है जिनके वारिसान को समय पर पक्षकार नही बनाया गया है जबकि वादी के अधिवक्ता को इनके देहान्त होने की सुचना आज से लगभग चार साल पूर्व ही दी जा चुकी थी फिर भी पक्षकार नही बनाया गया है वादी का वाद अबैट हो चुका है केवल अन्य काश्तकारो के दस्तावेजात का स्थान के कारण नामान्तकरण ना हो सके इसलिये वाद में कार्यवाही नही की है जान बुझ कर प्रकरण में देरीना की गई है इसप्रकार आवश्यक पक्षकार जब भी नही बनाये जाने के कारण वादी का वाद अबैट हो चुका है वादी का वाद फरमाया जावे अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर वाद वादीगण अबैट फरमाया जावे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:53:12 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया प्रार्थी/वादीगण ने वादी संख्या 1 ,2 व प्रतिवादी संख्या 21 के देहान्त होने पर उसके वारिसान को पक्षकार बनाये जाने के लिये प्रार्थना पत्र पेश किया गया है तथा देरीना के लिये गरीब अनपढ एवं कानुनी तथ्यो की जानकारी नही होने का कथन किया गया है जो स्वीकार योग्य नही है।

प्रकरण में दिनांक 08.09.2020 को प्रतिवादी के द्वारा वादीगण एव अन्य पक्षकारो के देहान्त होने के सुचना दी जाकर वाद वादी अबैट करने का निवेदन किया गया था जिस पर न्यायालय ने वादी को आवश्यक पक्षकारो को पक्षकार बनाये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु वादी को बार बार समय दिये जाने के उपरान्त भी वाद में पक्षकार बनाये जाने की कार्यवाही नही की गई थी अर्थात वादी का वाद काफी समय पूर्व ही अबैट हो चुका था।

न्यायालय के द्वारा वादी के अधिवक्ता को वादीगण एव अन्य पक्षकारो के देहान्त होने की सुचना देने के उपरान्त वादी के अधिवक्ता का दायित्व था की वह अपने पक्षकारो से सम्पर्क किया जाकर वादीगण /प्रतिवादीगण जिनका देहान्त हो गया है के वारिसान को पक्षकार बनाये जाने की कार्यवाही करवाता किन्तु वादीगण ने ऐसा कोई भी कार्य न्यायालय के द्वारा बार बार समय देने के उपरान्त भी समय पर पेश नही किया गया अर्थात वादीगण का वाद अबैट हो चुका था

न्यायालय के द्वारा वादीगण के अधिवक्ता को मृतको की सूचना देने के उपरान्त भी समय पर मृतको के वारिसान को पक्षकार बनाये जाने की कार्यवाही नही करना न्यायालय के समय खराब करना एवं न्यायालय के आदेशो /निर्देशा की अवहेलना की श्रेणी में माना जा सकता है।

अप्रार्थी/प्रतिवादी के कथनानुसार अभी भी प्रार्थी/वादी के द्वारा वाद में समायोजित पक्षकारो में से अन्य मृतक पक्षकारो के वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है जो जबाब में अंकित है प्रार्थी ने इनके सम्बध में कोई भी कथन व्यक्त नही किया गया है अर्थात अन्य मृतको के वारिसान को पक्षकारा बनाया जाना शेष माना जा सकता है

इसप्रकार प्रार्थी ने ज्ञान होते हुए भी एवं न्याायलय के द्वारा चार वर्ष पूर्व सूचना देने के उपरान्त भी वादी/प्रतिवादीगण के समस्त वारिसान को समय पर पक्षकार नही बनाया गया है अप्रार्थी के जबाब में अंकित अन्य प्रतिवादीगण के देहानत होने के सम्बध में कोई कथन नही करने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अपूर्ण होने के कारण स्वीकार योग्य नही है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण/वादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 ,4 ,9 सीपीसी न्यायालय के द्वारा सुचित करने के उपरान्त भी काफी देरीना से प्रस्तुत किया गया है तथा वादी /प्रतिवादीगण के देहान्त होने का ज्ञान होने के उपरान्त भी शेष प्रतिवादीगण के समस्त वारिसान को पक्षकार बनाने की कार्यवाही नही की गई है अधुरा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो स्वीकार योग्य नही है तथा न्यायहित में वादी सम्पूर्ण तथ्यो एव पक्षकारो को समायोजित किया जाकर पूनः वाद पेश कर सकता है

अतः प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 ,4 ,9 सीपीसी दोनो न्यायालय की सूचना के उपरान्त भी देरीना से पेश करने एवं शेष प्रतिवादीगण के वारिसान को पक्षकार नही बनाने के कारण सभी प्रार्थना पत्र अपूर्ण होने के कारण स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा वाद वादी अबैट हो जाने के कारण खारिज किया जाता है पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:53:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर